न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-439RAAJodhpur2023-210RTA223 Devaram ors Vs Lrs of Mangilal etc

1. देवाराम पुत्र स्व. श्री कालूराम
2. पाबूराम पुत्र स्व. श्री कालूराम
3. भेपाराम पुत्र स्व. श्री शोभाराम

जातियान बिश्नोई निवासीगण ग्राम पीथावास, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मांगीलाल पुत्र स्व. गुणेशराम फौत के कायम मुकामः–
   - 1.1. पाली देवी पत्नी श्री मांगीलाल
   - 1.2. श्यामलाल पुत्र मांगीलाल
   - 1.3. भजनलाल पुत्र मांगीलाल
   - 1.4. सीमा देवी पुत्री मांगीलाल
2. बुद्धाराम पुत्र स्व. श्री गुणेशराम
3. धीमाराम पुत्र स्व. श्री गुणेशराम
4. बाबुलाल पुत्र स्व. श्री गुणेशराम
5. लादूराम पुत्र स्व. श्री मंगलाराम
6. श्रीमती देवली बैवा स्व. श्री रामूराम
7. सजना पुत्री जोधाराम बेनिवाल

   जातियान बिश्नोई, निवासीगण ग्राम पीथावास, तहसील व जिला जोधपुर।
8. पूनी देवी पत्नी शिवलाल बिश्नोई, निवासी–रूडकली पीथावास, तहसील व जिला जोधपुर।
9. सुगना बाई पत्नी श्री सोनाराम बिश्नोई, निवासी धायलों की ढाणी, डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर।
10. प्रेमाराम पुत्र स्व. श्री रामकिशन बिश्नोई, निवासी ओलवी, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।
11. श्रीमती शान्ति पत्नी दौलाराम विश्नोई, निवासी गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।
12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार जोधपुर जिला जोधपुर।
13. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
14. रहननामा जरिये मैनेजर यूको बैंक बनाड़ जिला जोधपुर।
15. रहननामा जरिये मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, बिसलपुर, जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 मई 2013 सहायक कलक्टर जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 369/2011 कालूराम व अन्य बनाम मांगीलाल इत्यादि

उपस्थित–
श्री देवाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री लाधूराम पूनिया, श्री भीखाराम, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 12

नि र्ण य

दिनांक : 01 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 369/2011 अनवान कालूराम व अन्य बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 मई 2013 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 06 मई 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 70 रकबा 24.06 बीघा एवं खसरा संख्या 84 रकबा 46.06 बीघा वाके ग्राम मौजा डोलिया तहसील जोधपुर के संबंध में धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स के वकील द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद खारिज होने की जानकारी समय पर नहीं दिये जाने से उन्हें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलांट्स द्वारा जब भी अपने अधिवक्ता से जानकारी चाही तो उन्होने एक ही जवाब दिया कि दावा चल रहा है, लेकिन हाल ही दिनों में जब ज्यादा पूछा तो पेशी बताने में आनाकानी करने लगे, तब कोर्ट जाकर पता किया तो मालूम चला कि दावा तो सन् 2013 में ही खारिज हो गया। तब दिनांक 04/12/2023 को नकल हेतु आवेदन किया। नकल दिनांक 04.12.2023 को मिली। नकल मिलते ही अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में जानबूझ कर विलंब नहीं किया गया है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जावे।

गुणावगुण पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि ऐसा बंटवाडा उसकी जानकारी में नहीं है तथा न ही ऐसा बंटवाडा संभव है। रेस्पोडेंट्स का कथन है कि दिनांक 04–07–1982 उभय पक्ष की ओर से तहसीलदार जोधपुर के समक्ष आपसी सहमति का विभाजन प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया गया है। इस संबंध में अपीलांट का निवेदन है कि जिस व्यक्ति के नाम से स्टाम्प खरीदना बताया गया है, उसके हस्ताक्षर ही नहीं है। उक्त हस्ताक्षर फर्जी व बनावटी है तथा सहमति में किये गये भी हस्ताक्षर अपीलान्ट्स पक्ष के नही है, वो बनावटी तथा फर्जी है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को पूर्ण सुनवाई उपरांत ही निर्णित किया जाना चाहिए था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया को अपनाये बिना प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर विधिविरूद्ध तरीके से वादी के वाद को खारिज कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि वादी के वाद में प्रतिवादीगण की ओर से काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया, जिससे साबित है कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन होना है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 मई 2013 को खारिज किया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने हस्तगत अपील जानबूझ कर देरी से प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की शुरू से ही पूर्ण जानकारी थी। बिना किसी ठोस आधार के अपील प्रस्तुत की गई है। इस कारण हस्तगत अपील म्याद के बिंद पर ही खारिज योग्य है। अपीलार्थीगण का कथन है कि उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हे समय पर जानकारी नहीं दी गई, जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थीगण द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में हुए आपसी सहमति के पारिवारिक बंटवाडा दिनाक 27.07.1982 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा 42 वर्ष पश्चात माननीय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर में उक्त पारिवारिक बंटवाड़े को जरिये टिनेन्सी अपील संख्या 01/2023 द्वारा चुनौती दी है, उक्त अपील में विलम्ब को माफ करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनाक 27–05–2013 की निर्णित फाईल अपने पास होने का अभिकथन किया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को उक्त अपीलाधीन निर्णय की शुरुआत से ही जानकारी रही है। अपीलांट्स द्वारा केवल प्रत्यर्थीगण के तंग व परेशान करने के लिए हस्तगत अपील प्रस्तुत की है जो म्याद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील 11 वर्ष की देरीना से प्रस्तुत की है, जिसकी देरी का कोई माकूल एवं संतोषप्रद जवाब अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में की गई देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पोडेंट ने निवेदन किया कि उक्त पारिवारिक बंटवाड़ा की पालना में ग्राम डोलिया की भूमि का नामांतरक संख्या 84 स्वीकृत कर दिया गया, किंतु ग्राम पीथावास की भूमि के संबंध दाखिल नामांतरकरण संख्या 115 को तहसीलदार जोधपुर के कार्यालय आदेश में टंकणीय त्रुटि के आधार पर रकबे की भिन्नता मानते हुए उक्त नामांतरकरण को खारिज कर दिया गया। वर्तमान में ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पीथावास की भूमि पर पक्षकारान् का उक्त पारिवारिक बंटवाड़ा अनुसार ही है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द को विभाजन सन् 1982 का भाग शुमार करते हुए तहसीलदार को पारिवारिक बंटवाड़ा सन् 1982 के अनुसार नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अपीलांट्स की ओर से न्यायालय अपर जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 01/2023(33/2024) के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के पद संख्या दो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 24.08.2023 को होना बताया है, जबकि हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 04.12.2023 होने के कथन किये गये है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलांट्स को शुरूआत से ही रहीं है तथा अपीलांट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मिथ्या एवं विरोधाभासी कथन किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये कथन मिथ्या एवं बनावटी पाये जाने से अदालत हाजा की दृष्टि में सद्भाविक एवं विश्वास योग्य नही ठहरते है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स के निवेदन पर अदालत हाजा द्वारा वादग्रस्त आराजी के मौके रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें भी पक्षकारान् का कब्जा काश्त पूर्व में हुए बंटवाड़ा के अनुरूप ही पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील कालवर्जित पायी जाती है।

रेस्पोडेंट पक्ष का कथन है कि सन् 1982 के विभाजन के अनुसार ग्राम डोलिया की भूमि के संबंध में नामांतरकरण संख्या 84 स्वीकृत कर दिया गया, किंतु ग्राम पीथावास की भूमि के संबंध में खोला गया नामांतरकरण संख्या 115 को तहसीलदार के कार्यालय आदेश में खसरा नंबर 192 में रकबे की त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के आधार पर खारिज कर दिया गया, जबकि पक्षकारान् वर्तमान में सन् 1982 के विभाजन के अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट के उक्त उज्र के निवारण हेतु नायब तहसीलदार डांगियावास को निर्देशित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलांट कालवर्जित पाये जाने से खारिज की जाती है। साथ ही नायब तहसीलदार डांगियावास को आदेश दिये जाते है कि वह ग्राम पीथावास की भूमि के संबंध में सन् 1982 के विभाजन अनुसार वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खातेदारान् के नाम नामांतरकरण दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर